

## -: उपखंड स्तरीय समिति का सहमति पत्र :-

### प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक/मेसर्स "धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुंबई (महाराष्ट्र)" द्वारा बालाघाट जिले के तहसील परसवाड़ा के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) में रकबा 40.468 हेक्टे. क्षेत्र पर बॉक्साईट उत्खनन हेतु वनकक्ष क्रमांक 1491 का भाग है। आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत बॉक्साईट उत्खनन हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।
- 2- उपरोक्त संबंध में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया गया है।
- 3- ग्राम पंचायत मोहगांव माल, जनपद पंचायत परसवाड़ा द्वारा भी व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है और अनापत्ति प्रदान की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने बॉक्साईट उत्खनन कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।


अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति बैहर एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत /सहमति व्यक्त करती है।

  
(सचिव)

सहायक परियोजना प्रशासक  
एकीकृत आदिवासी विकास  
परियोजना बैहर  
उपखंड स्तरीय वन अधिकार  
समिति बैहर

  
(सदस्य)

उपवन मंडलाधिकारी  
उत्तर (सामान्य) वन मंडल  
उपखंड स्तरीय वन अधिकार  
समिति बैहर

  
(अध्यक्ष)

अनुविभागीय अधिकारी  
(राजस्व) बैहर  
उपखंड स्तरीय वन अधिकार  
समिति बैहर

## -: जिला स्तरीय समिति का सहमति पत्र :-

### प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक/मेसर्स "धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मुंबई (महाराष्ट्र)" द्वारा बालाघाट जिले के तहसील परसवाड़ा के ग्राम फण्डकी (मोहगांव) में रकबा 40.468 हेक्टे. क्षेत्र पर बॉक्साईट उत्खनन हेतु वनकक्ष क्रमांक 1491 का भाग है। आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत बॉक्साईट उत्खनन हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।
- 2- उपरोक्त संबंध में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ/प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया गया है।
- 3- ग्राम पंचायत मोहगांव माल, जनपद पंचायत परसवाड़ा द्वारा भी व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ/प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है और अनापत्ति प्रदान की गई है।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैहर एवं अध्यक्ष उपखंड स्तरीय समिति बैहर के पत्र क्र/1246/अ.वि.अ./वन अधि./2017 बैहर 28.06.2017 द्वारा उक्त कार्य के लिये सहमति पत्र प्रदाय किया गया है।
- 5- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने बॉक्साईट उत्खनन कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः जिला स्तरीय वन अधिकार समिति एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत /सहमति व्यक्त करती है।

(सचिव)

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास बालाघाट  
जिला स्तरीय वन अधिकार  
समिति बालाघाट

(सदस्य)

वन मंडलाधिकारी  
उत्तर (सामान्य) वन मंडल  
बालाघाट वनमण्डल बालाघाट  
जिला स्तरीय वन अधिकार  
समिति बालाघाट

(अध्यक्ष)

कलेक्टर  
जिला बालाघाट  
जिला स्तरीय वन अधिकार  
समिति बालाघाट

FORM-II  
(for projects other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh  
Office of the District Collector Balaghat  
\*\*\*\*\*

No.....1486..

Dated...19/7/017

Balaghat,

**To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **40.468 Hec.** of forest land proposed to be diverted in favour of **THE DHARAMSI MORARJI CHEMICAL CO. LTD Mumbai (M.H.)** name of user agency) for **Bauxite Excavation Work** purpose for diversion of forest land in **Balaghat** district falls within jurisdiction of North Balaghat Forest Division, Forest Range- Fandki (Mohgoan) (T.) Forest Block Mohgoan **Tah./Block -Paraswada, Village- Fandki (Mohgoan) in 40.468 Hec. in applied Compartment No. 1491 forest land** village(s) in **Paraswada** tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **40.468 Hec.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to .....annexure.....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular /local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Mohgaon mal, Th. Paraswada** villages(s) is enclosed as annexure.....to annexure .....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature

  
(Full name and official seal of the  
Collector of  
Balaghat)